(130)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 388/एक/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.01.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 08/निगरानी/2014-15.

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर
जिला विदिशा द्वारा प्रकरण प्रभारी
तहसीलदार, तहसील बासौदा, जिला विदिशा .....आवेदक

विरूद्ध

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराजसिंह
2. रघुवीर सिंह पुत्र श्री महाराजसिंह
3. नीलम पुत्री महाराजसिंह
4. कृष्णाबाई बेवा श्री महाराजसिंह
5. भगवान सिंह पुत्र कारेलाल

सभी निवासीगण ग्राम स्यारी,
तह. बासौदा, जिला विदिशा .....अनावेदकगण

श्री राजीव शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री पी.के. तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 20.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम स्याही की भूमि कुल सर्वे नंबर 21 रकबा 14.162 स्व. श्री घासीराम पुत्र गंगाप्रसाद के भूमि स्वामित्व पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। स्व. श्री घासीराम की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा के प्रकरण क्र. 51/अपील/94-95 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2000 एवं प्रकरण क्र. 52/अपील/94-95 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2000 द्वारा अनावेदक क्र. 1 व 5 के नाम नामांतरित हुई। अनुविभागीय अधिकारी का कलेक्टर नजूल के माध्यम से विवादित भूमि के संबंध में एक शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुआ कि विवादित भूमि के संबंध में वर्ष 80-81 में लावारिस खाते की भूमियां संबंधी इस्तहार जारी किया गया था, जिसकी जांच की जावे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर जांच कर प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण तत्कालीन आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपालको स्वमेव निगरानी में लिया जाने हेतु प्रेषित किया गया। आयुक्त द्वारा स्वमेव निगरानी के अधिकार कलेक्टर को ही होने का लेख प्रस्तुत करते हुए प्रकरण वापिस कलेक्टर को भेज दिया। कलेक्टर द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर आदेश पत्रिका की फोटोप्रति होने एवं प्रतिवेदन अपूर्ण होने से पूर्ति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को वापिस भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण उपलब्ध नहीं होने का तर्क प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी के दो प्रकरण एवं उन प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में नामांतरण पंजी पर तहसीलदार द्वारा किये गये नामांतरण को स्वमेव पुनरीक्षण में लिय जाने हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया। कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर एक वर्ष उपरांत प्रकरणों को स्वमेव निगरानी में लिये जाने की अनुमति दिनांक 24.01.2007 को अनुविभागीय अधिकारी को प्रदाय की। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लगभग 4 वर्ष उपरांत प्रकरण यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कलेक्टर को वापिस किया कि निगरानी के अधिकारी कलेक्टर को है। कलेक्टर द्वारा प्रकरण अपर कलेक्टर को निराकरण हेतु भेजा गया। अपर कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए एवं कलेक्टर, विदिशा की आदेश पत्रिका 18.12.2003 का लेख करते हुए प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाना मान्य करते हुए प्रकरण क्र. 08/स्वमेवनिग./12-13 दर्ज कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में किये गये समस्त नामांतरण निरस्त किये गये एवं भूमि को शासकीय घोषित किये जाने का आदेश दिनांक 06.07.2015 को पारित किया गया। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा

एक निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20.01.2016 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर, विदिशा का आदेश निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक को नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.1984 की जानकारी दैनिक जागरण समाचार पत्र में शिकायतकर्तागण की ओर से की गई शिकायत जो कलेक्टर, विदिशा के समक्ष दिनांक 17.04.2003 को प्राप्त होने पर जानकारी प्राप्त हुई। इसके पूर्व उक्त आदेश की जानकारी पूर्व से म.प्र. शासन को नहीं थी। इस कारण से वर्तमान आदेश बिना सुनवाई किये पारित किया गया।

(2) कलेक्टर ने उक्त शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 17.04.2003 को स्वमेव निगरानी में लिये जाने के लिए प्रतिवेदन हेतु पत्र लिख दिया था एवं उक्त स्वमेव निगरानी में प्रकरण एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं अनावेदकगण को सूचना पत्र दिये जाने एवं समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् दिनांक 06.07.2015 को आदेश पारित किया गया। इस प्रकार आदेश दिनांक 06.07.2015 उचित एवं वैधानिक रूप से पारित किया गया है। उक्त आदेश को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने में वैधानिक त्रुटि की है।

(3) आयुक्त भोपाल द्वारा प्रकरण में इस आशय का लेख किया है कि प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर की ओर प्रेषित किया एवं अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में नहीं लिया गया। रिकॉर्ड के विपरीत है, स्वमेव निगरानी में लिया जाकर प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की गई एवं प्रतिवेदन पश्चात् आदेश पारित किया गया। उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(4) अपर कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही को आयुक्त भोपाल द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अनुसार नहीं होना लेख किया है, जबकि संपूर्ण प्रकरण में पत्रावली से स्पष्ट है कि भू-राजस्व संहिता के अनुसार ही प्रकरण में कलेक्टर द्वारा संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की

गई एवं भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत स्वमेव निगरानी का निराकरण किया गया है। उक्त कारण से आयुक्त भोपाल का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में यह लेख किया है कि समस्त नामांतरण आदेश निरस्त कर दिये गये हैं, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह नहीं देखा कि नामांतरण आदेश का प्रकरण एक ही था। उक्त नामांतरण आदेश के प्रभाव से अवैध रूप से बंटवारा पैत्रक संपत्ति मानते हुए किया गया। इस प्रकार इस मूल आदेश के प्रभाव से की गई कार्यवाही के आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य हैं। इस कारण मूल आदेश के साथ-साथ उसके प्रभाव से उत्पन्न आदेश निरस्त किया गया है। इस स्थिति को अपर आयुक्त द्वारा नहीं समझकर वैधानिक त्रुटि कारित की है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में यह लेख किया गया है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि संपूर्ण प्रकरण पत्रिका को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदकगण के अधिवक्ता को सूचना पत्र जारी हुए उनके तर्क सुने गए तथा उन्हें लेखीय बहस आदेश के पूर्व दिये जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार तर्क सुनने के पश्चात् आदेश पारित किया गया है। उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय का यह लिखा जाना तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, त्रुटिपूर्ण है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक घासीराम की वसीयत के संबंध में यह लेख किया है कि वसीयत पंजीकृत अथवा अपंजीकृत हो, केवल सिद्ध होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और धारा 63 उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत वसीयत को सिद्ध करना आवश्यक है। अपंजीकृत वसीयत को सिद्ध करने के लिए अनावेदकगण ने कौन सी साक्ष्य प्रस्तुत की यह अधीनस्थ अपर आयुक्त के समक्ष उपलब्ध नहीं थी। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि उक्त मूल अभिलेख अपर तहसीलदार के कार्यालय से प्राप्त नहीं हो रहा था, जिसके लिए संपूर्ण प्रयास किये जा चुके हैं। तब अनावेदकगण को न्यायालय में मूल वसीयतनामा प्रस्तुत न कर ऐसी कौन सी साक्ष्य संबंधित तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वसीयत को विधि अनुसार संपादित किया गया है। दर्शाना चाहिए था, ऐसा किसी तथ्य पर अनावेदकगण ने अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं

किया है। उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशस्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(8) स्वमेव निगरानी में कलेक्टर द्वारा अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी किये गये हैं, जो अनावेदकगण द्वारा प्राप्त किये गये तथा प्राप्त होने के पश्चात् अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। यह तथ्य रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि इस स्थिति को अपर आयुक्त द्वारा ध्यान न देकर वैधानिक त्रुटि की है।

(9) अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि भूमि का कुल रकबा 14.162 हैक्टेयर है। उक्त भूमि के संबंध में भगवान सिंह को नाबालिग एवं सरपरस्त महाराज सिंह रहा है। इस प्रकार वसीयत सिद्ध होने के पश्चात् उक्त भूमि का स्वामी यदि माना भी जावे तो भगवान सिंह हो सकता था। भगवान सिंह के संबंध में रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि भगवान सिंह को कारेलाल का पुत्र बताया गया है, जबकि एक अन्य स्थान अपील प्रकरण क्र. 52/अपील/94-95 में भगवान सिंह के पिता का नाम महाराज सिंह अंकित कराया गया है। इस प्रकार उक्त स्थिति संदेह को जन्म देती है। संदेह का स्पष्टीकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

(10) अपर कलेक्टर के प्रकरण में भगवान सिंह का कथन संलग्न है, जिसमें कथन करवाये हैं, महाराज सिंह का वादग्रस्त भूमि में कोई हक व कब्जा नहीं है। इस प्रकार उक्त कथन पर विचार नहीं किया जाकर अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक भूल की है।

(11) कथित वसीयत किसी भी न्यायालय में मूल रूप से अन्यथा फोटोप्रति जो वर्तमान में उपलब्ध है, प्रस्तुत नहीं की गई है। मूल वसीयत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, जिसे किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना संदेह को जन्म देता है।

(12) रिकॉर्ड के अनुसार पटवारी का प्रतिवेदन पंचनामा इस आशय का दिनांक 16.10.1994 को प्राप्त हुआ था कि भगवान सिंह नाम के कोई भी व्यक्ति का आदमी गांव में निवास नहीं करता है। उक्त पंचनामा को देखे बिना आदेश प्रभाव के कारण पारित किया जाना प्रतीत हो रहा है।

(13) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया कि भूमि बहुमूल्य तथा बेसकीमती है, जिसकी कीमत वर्तमान की दरों के अनुसार करोड़ो रूपये में है। उक्त भूमि महाराज सिंह

एवं पत्नी श्रीमती कृष्णा बाई के नाम अंकित की जा रही है। महाराज सिंह पूर्व राजस्व मंत्री एवं विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री श्री वीर सिंह रघुवंशी के भाई हैं। इस प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार को प्रभावित कर कार्यवाही की जाना संभावित है। इस स्थिति की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान न देकर वैधानिक भूल की है।

(14) भगवानसिंह, महाराजसिंह एवं उसके वारिसों की रिश्तेदारी अथवा वंश वृक्ष के अंतर्गत नहीं है, तब संपत्ति अंतरित अधिनियम के अंतर्गत अंतरण मात्र विक्रय पत्र के आधार पर हो सकता है अन्यथा रूप से अंतरण नहीं हो सकता है। उक्त तथ्य पर घ्यान न देकर वैधानिक भूल अपर आयुक्त द्वारा की गई है।

(15) संहिता की धारा 177 के अनुसार तहसीलदार को मात्र इस आश्य की अधिकारिता दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये एवं उसके ज्ञात वारिस नहीं है तो उसे एकमात्र अधिकार यह है कि भूमि लावारिस घोषित कर दें उसे यह अधिकार नहीं है कि उक्त संपत्ति को किसी अन्य के नाम वसीयत के आधार पर अंतरित करें, जबकि तहसीलदार के समक्ष धारा 109, 110 के अंतर्गत विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। नामांतरण किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही कराई जाना सुनिश्चित करावें, ऐसा प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार नहीं किया गया है। उक्त तथ्य पर भी ध्यान न देकर अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक भूल की है।

(16) महाराज सिंह की भूमि के संबंध में सक्षम पदाधिकारी द्वारा शीलिंग एक्ट के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में महाराज सिंह से इस आशय की जानकारी की मांग की गई थी कि वर्तमान प्रकरण में उनके द्वारा धारित भूमि से संबंधित अन्य कोई जानकारी देना चाहते हैं, तो दें। उक्त आधार पर महाराज सिंह द्वारा प्रकरण में जानकारी प्रस्तुत की थी, जिस पर महाराज सिंह के हस्ताक्षर हैं। उक्त जानकारी में महाराज सिंह ने यह लिखकर दिया था कि इस प्रकरण की विवादित भूमि कुल रकबा 14.162 हैक्टेयर घासीराम भूमि स्वामी की है। घासीराम की मृत्यु के बाद भगवान सिंह काबिज है और महाराज सिंह का इस भूमि से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि महाराजसिंह का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं था। स्वयं महाराजसिंह द्वारा लिखत

रू से आवेदन के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार महाराज सिंह धारा 114-115 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अपने कथनों के विपरीत कथन देने हेतु विबंधित है अपने कृत्य के विपरीतवस नहीं महाराजसिंह को भूमि का स्वामी स्वयं को कहने का अधिकार नहीं है, उक्त तथ्य को अपर आयुक्त द्वारा न देकर वैधानिक त्रुटि की है। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए अपने आदेश के अंतिम पैरा में उल्लेख किया है कि "आयुक्त द्वारा प्रकरण में कलेक्टर को ही कार्यवाही किये जाने हेतु वापस भेजा गया था। तत्पश्चात् भी कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में नहीं लेते हुए संबंधितों को नोटिस जारी किये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण तत्समय भी कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में नहीं लिया गया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्वयं लेख किया है कि आवेदकगणों का नामांतरण अपंजीकृत वसीयत के आधार पर हुआ है। इससे स्पष्ट है कि मृतक घासीराम द्वारा वसीयत निष्पादित की गई थी, तत्समय वसीयत के संबंध में स्पष्ट था कि वसीयत पंजीकृत हो अथवा अपंजीकृत या सादे काबज पर, केवल सिद्ध होना चाहिए। अत: वसीयत से नामांतरण किए जाने से भूमि लावारिस की श्रेणी में नहीं आती है, जबकि संपूर्ण कार्यवाही वादग्रस्त भूमि को लावारिस भूमि के बिंदु पर प्रकाश डालते हुए संपादित की गई है। अत: वादग्रस्त भूमि को शासकीय घोषित किए जाने हेतु जो कारण प्रदर्शित किया है, वह भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अत: उपरोक्त विवेचना के अनुक्रम में अपर कलेक्टर विदिशा का आदेश दिनांक 06.07.2015 स्वमेव निगरानी में लिए जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिये गये प्रावधानों के विपरीत एवं अस्पष्ट होने से निरस्त किया जाता है, निगरानी स्वीकार की जाती है।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकगण की निगरानी स्वीकार की गई।

(2) अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के पालन में अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेख में नामांतरण किए जाने की मांग की, तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन न करते हुए बिना वरिष्ठ न्यायालय की तथा शासन की अनुमति लिए बगैर 373 दिन विलंब से इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जिसमें विलंब का प्रत्येक दिन का कारण दर्शित नहीं किया गया। इसी आधार पर निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है। इस संबंध में 1989 आर.एन. 289 माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(3) अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार द्वारा नामांतरण न करने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका 3408/16 प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा दिनांक 11.07.2016 को आदेश पारित करते हुए तहसीलदार का आदेश दिया कि विधि अनुसार आवेदन पर निर्णय पारित करें, परंतु तहसीलदार द्वारा आवेदन पर निर्णय न कर इस न्यायालय के समक्ष निगरानी दिनांक 25.01.2017 को प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त किया गया। तहसीलदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना की गई है।

(4) अपर कलेक्टर द्वारा 2003 में स्वमेव निगरानी में प्रकरण को लिया गया, जबकि तहसीलदार का नामांतरण आदेश दिनांक 23.08.1984 को पारित किया गया था। लगभग 20 वर्ष बाद स्वमेव निगरानी में प्रकरण लिया गया। इस संबंध में 1998(1) सुप्रीम कोर्ट 26 मोहम्मद काली बनाम फातमा बाई का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया है कि-

a) परिसीमा - स्वप्रेरणा से जांच की शक्ति कानून के अधीन परिसीमा की अवधि उपबंधित नहीं। युक्तियुक्त समय के भीतर प्रारंभ की जाना चाहिए प्रयोजन के लिए एक वर्ष अयुक्तियुक्त हो सकता है।

b) भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) - धारा 50 स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति - युक्ति युक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जा सकती है। मात्र एक वर्ष भी अयुक्तियुक्त हो सकता है।

(5) आवेदक तहसीलदार द्वारा विलंब से प्रस्तुत निगरानी में कोई समाधान कारण नहीं होने से मात्र अनावेदकगण को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत की गई है, जो इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूलत: इस प्रकरण में कार्यवाही वर्ष 1980-81 में तहसीलदार ने संहिता की धारा 177 के अन्तर्गत मूल भूमिस्वामी की मृत्यु पर खाते को लावारिस मानकर कार्यवाही प्रारम्भ की थी जिस पर भगवानसिंह तथा महाराजसिंह ने वसीयत के आधार पर अपना दावा पेश किया जो वसीयत विधिवत प्रमाणित कर तहसीलदार ने स्वीकार किया। (उल्लेखनीय है कि तहसील के उक्त मूल प्रकरण कालांतर में प्रथमदृष्टया कलेक्टर कार्यालय स्तर से गायब होना पाये गये लेकिन इस संबंध में किसी पर कोई प्रभावी कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता ।) लेकिन उक्त तथ्यों की पुष्टि अभिलेख में लगी छायाप्रतियों से होती है । बाद में यही भूमियॉ/बंटवारे/नामान्तरण तथा पूर्व आदेश के अमल आदि के बाद वर्ष 2000 में वर्तमान अनावेदकों के नाम आई ।

6/ संहिता की धारा 177 निम्नानुसार है :-

म0प्र0राजस्व संहिता की धारा 177 - खातों का निपटारा -

(1) यदि कोई ऐसा भूमिस्वामी, जिसकीभूमि पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये किया गया हो, या जो भूमि को निवास के प्रयोजनों के लिये धारण करता है, किन्हीं ज्ञात वारिसों के बिना मर जाय, तो तहसीलदार उसकी भूमि का कब्जा ले लेगा और उसे एक बार में एक वर्ष की कालावधि के लिये पटटे पर दे सकेगा ।

(2) यदि तहसीलदार द्वारा भूमि का कब्जा लेने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर कोई दावेदार उस खाते को उसे वापस दिलाये जाने के लिये आवेदन करता है तो तहसीलदार ऐसी जॉच के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, ऐसे दावेदार को उस भूमि का कब्जा दिलवा सकेगा या उसका दावा नामंजूर कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित तहसीलदार का आदेश अपील या पुनरीक्षण के अध्यधीन नहीं होगा किन्तु कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका कि दावा उपधारा (2) के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो तहसीलदार का आदेश संसूचित किया जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतरअपना हक स्थापित करने के लिये सिविल वाद फाइल कर सकेगा, और ऐसा वाद फाइल कर दिया जाने की दशा में तहसीलदार उपधारा (1) में उपबंधित कियेगये अनुसार भूमि को तब तक पटटे पर देता रहेगा जब तक कि उस वाद का विनिश्चय न हो जाये ।

(4) यदि तहसीलदार द्वारा उस भूमि का कब्जा लिया जाने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर कोई दावेदार सामने नहीं आता है या यदि वह दावेदार, जिसका कि दावा उपधारा (2) के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो, उपधारा (3) में उपबंधित किये गये अनुसार एक वर्ष के भीतर वाद फाइल नहीं करता है, तो तहसीलदार मृत भूमिस्वामी के उस खाते में के अधिकार को नीलामी द्वारा बेच सकेगा ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसा दावेदार, जो उस भूमि में, जिसके कि संबंध में इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है, अपना हक स्थापित कर देता है, उपधारा (1) के अधीन देय लगान, तथा उपधारा (4) के अधीन उगाहे गये विक्रय आगमों का ही हकदार होगा और उसमें से उस खाते पर भू-राजस्व के मद्दे शोध्य समस्त राशियॉ तथा प्रबन्ध और विक्रय के व्यय काट लिये जायेंगे ।

धारा 177(3) में स्पष्ट उल्लेख है कि धारा 177(2) का तहसीलदार के आदेश की अपील/निगरानी नहीं हो सकती, केवल व्यवहार वाद लाया जा सकता है । अर्थात् तहसील के दिनांक 23-8-1984 के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने की शक्तियॉ अपर कलेक्टर को नहीं थी।

7/ प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 1984 तथा वर्ष 2000 के आदेशों की जानकारी कलेक्टर की जानकारी में प्रारम्भ से ही है, लेकिन प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने की विधिवत् एवं वास्तविक कार्यवाही वर्ष 2012 में ही प्रारंभ हुई । यदि यह मान भी लियाजाये कि स्वमेव निगरानी की कार्यवाही कलेकटर के प्रथम नोटिस दिनांक 9-1-2004 से हुई तो भी वर्ष 1984 के

आदेश के स्वमेव निगरानी में 20 वर्ष बाद लेने की कार्यवाही किया जाना अभिलेखों से प्रमाणित है। जबकि अनेक न्यायदृष्टांतों में स्वमेव निगरानी के लिये अधिकतम 180 दिवस की अवधि को युक्तियुक्त माना गया है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एम0पी0डब्ल्यू0एन0 1988 पृष्ठ 38 मो0कवि विरूद्ध फातमाबाई के प्रकरण में निम्नलिखित सिद्धांत पारित किया है -

"भू राजस्व संहिता 1959 - धारा 50 - स्वप्रेरणा में पुनरीक्षण की शक्ति - युक्तियुक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जा सकती है - मात्र एक वर्ष भी अयुक्तियुक्त हो सकता है ।"

इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2010(4) एमपीएलजे 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरीसिंह एवं अन्य तथा म0प्र0शासन) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के अनेक न्यायदृष्टांतों का हवाला देते हुये यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 50 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग हेतु 180 दिन की अवधि के भीतर ही किया जा सकता है ।

स्पष्ट है कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में भी अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 6-7-2015 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

8/ जैसा कि अपर आयुक्त ने पाया है कि मूल नामान्तरण की कार्यवाही वसीयत पर हुई है जिसे उपलब्ध अभिलेख के अनुसार विधिवत् गवाहों से प्रामणित कराया गया । ऐसी स्थिति में स्वमेव निगरानी में लेने पर उक्त वसीयतों को अप्रमाणित अथवा फर्जी प्रमाणित करने का भार स्वमेव निगरानी में लेने वाले प्राधिकारी का था, लेकिन ऐसी कोई साक्ष्य उनके द्वारा नहीं ली गई। अत: इस आधार पर भी अपर आयुक्त का आदेश उचित है । अनावेदकों ने अपर कलेक्टर के समक्ष अपने उत्तर में स्पष्ट बताया है कि असल वसीयतनामा तहसील में पेश किया गया था । जिसका प्रकरण अब उपलब्ध नहीं है । अत: आवेदक का अनावेदक द्वारा अब असल वसीयत पेश न करने का तर्क स्वीकार्य नहीं है ।

इसी प्रकार जिन सीलिंग प्रकरण के बयानों का आधार आवेदक पक्ष ने अपने तर्कों में लिया है उन बयानों में तथा इस प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता को आवेदक ने स्पष्ट रूप से

रेखांकित नहीं किया है । कथनों की छायाप्रतियों से यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह ब्यान किस तिथि के हैं तहसीलदार के आदेश से पहले के अथवा बाद के । अतः उनके आधार पर अपर आयुक्त के निष्कर्ष को परिवर्तित नहीं किया जा सकता ।

10/ प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20-1-2016 का क्रियान्वयन न होने पर आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 3408/2016 दायर की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 11-7-2016 द्वारा 8 सप्ताह में आवेदन के निराकरण के निर्देश दिये थे । उसके बाद ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करते हुये उक्त आदेश के भी छह माह बाद यह निगरानी मण्डल में पेश की गई । स्पष्ट है कि मण्डल के समक्ष यह निगरानी विलम्ब से तथा माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना से बचने के लिये पश्चातवर्ती सोच के तहत पेश की गई है ।

11/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर